



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21066

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. 64 वर्ष 2026

बेबी अलीना बानो द्वारा उसके पिता मोह. अजीम
एवं एक अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ
एवं 4 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता

: डी. पी. दत्त तिवारी, अनिल कुमार सिंह,
मयंक सिंह

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: शा. अ., नवनीत कुमार मिश्रा

न्यायालय सं. - 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री डी. पी. दत्त तिवारी, उ. प्र. राज्य के विद्वान् अपर मुख्य स्थायी
अधिवक्ता श्री जी. डी. भट्ट और प्रत्युत्तरदातागण सं. 4 एवं 5 के विद्वान् अधिवक्ता श्री नवनीत
कुमार मिश्रा को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं
किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यह रिट याचिका अप्राप्तवय शिशुओं, बेबी अलीना बानो आयु लगभग 10 वर्ष और मास्टर हसनैन आयु लगभग 11 वर्ष ने अपने पिता मोह. अज़ीम के माध्यम से यह अभिकथन करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए दाखिल की गई है कि 30.10.2025 को बच्चों की मां की मृत्यु के बाद से, ये बच्चे अपने नाना-नानी, विरोधी पक्षकार सं. 4 एवं 5 की अवैध निरोध में हैं।

3. रिट याचिका में किए गए अभिवचनों के अनुसार भी, बच्चे 30.10.2025 को अपनी मां की मृत्यु के पहले से ही अपने नाना-नानी के साथ रह रहे हैं। यह याचिका 19.02.2026 को दाखिल की गई है। यह बच्चों की अभिरक्षा से अचानक और अवैध रूप से वंचित किए जाने का मामला नहीं है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया जाना अधिकृत करे।

4. बच्चों की अभिरक्षा एक जटिल विवादक है, जिसका विनिश्चय बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। बच्चों के कल्याण का विनिश्चय, संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी: (2019) 7 एस सी सी 42 में माननीय

उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर विभिन्न पूर्व-निर्णयों पर विचार किया था और निर्णय

किया है कि:

"19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही, अभिरक्षा की वैधता को न्यायोचित ठहराना या परीक्षा करना नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे की अभिरक्षा का समाधान न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है, जो एक असाधारण उपचार है, और यह रिट वहां जारी की जाती है, जहां किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, विधि द्वारा उपबंधित सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं हैं या अप्रभावी हैं; अन्यथा, रिट जारी नहीं की जाएगी। बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों तक सीमित है, जहां किसी अप्राप्तवय को ऐसे व्यक्ति द्वारा निरुद्ध किया गया हो जो उसकी विधिक अभिरक्षा के लिए अधिकृत नहीं है। प्रश्नगत विवादक पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा की गई घोषणाओं की दृष्टि से, हमारी राय में, बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तभी पोषणीय है, जब यह साबित किया जाता है कि किसी अप्राप्तवय बच्चे को उसके माता-पिता या किसी अन्य द्वारा निरोध में रखना अवैध था और विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, सामान्य उपचार केवल हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, यथास्थिति, के अधीन उपलब्ध है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों से उत्पन्न मामलों में, न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस बात से निर्धारित होता है कि क्या अप्राप्तवय सामान्यतः उस क्षेत्र के भीतर निवास करता है जिस पर न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन जांच और रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के, जो संक्षिप्त प्रकृति की होती हैं, बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे का कल्याण है। रिट न्यायालय में, अधिकारों का निर्धारण केवल शपथपत्रों के आधार पर किया जाता है। जहां न्यायालय का विचार है कि विस्तृत जांच अपेक्षित है, वहां न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर सकता है, और पक्षकारों को सिविल न्यायालय में जाने का निदेश दे सकता है। केवल आपवादिक मामलों में ही, अप्राप्तवय की अभिरक्षा के लिए पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया जाएगा।"

6. उपर्युक्त दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है और **निर्मला बनाम कुलवंत सिंह: (2024)**

10 एस सी सी 595 में दोहराया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया

है कि:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"27. ...जहां तक किसी अप्राप्तवय बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता का संबंध है, कोई निश्चित नियम प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। कि क्या रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यह प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

7. निर्मला बनाम कुलवंत सिंह (उपर्युक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर निर्णीत किया है कि:

"29. इस प्रकार, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्वयं प्रत्युत्तरदाता पिता के वाद के अनुसार, इस वाद के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, बच्चे के लिए एक पारिवारिक वातावरण, विशेषकर नाना-नानी की ओर से, अपेक्षित था। और कि उसने अप्राप्तवय बच्चे की अभिरक्षा उसकी देखभाल के लिए अपीलार्थिनी नानी को सौंपी थी। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थिनी नानी ने अप्राप्तवय बच्चे की अभिरक्षा अवैध रूप से अपने पास रखी है। यह प्रत्युत्तरदाता पिता ही था, जिसने अप्राप्तवय बच्चे की अभिरक्षा अपीलार्थिनी नानी को सौंपी थी।

30. हमारा सुविचारित राय है कि इस वाद के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें अप्राप्तवय बच्चे के कल्याण और उसकी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राथमिकता सहित एक विस्तृत जांच अंतर्गस्त होगी, इसलिए ऐसा कार्य केवल संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के उपबंधों के अधीन की जाने वाली कार्यवाही में ही किया जा सकता है।

31. किसी भी स्थिति में, हमारा विचार है कि 7 वर्ष के कोमल-वय अप्राप्तवय बच्चे को उसके नाना-नानी की अभिरक्षा से अलग होने के लिए विवश करना, जिनके साथ वह पिछले लगभग 5 वर्ष से रह रहा है, मनोवैज्ञानिक अशांति उत्पन्न कर सकता है।"

8. मैंने अपने चेंबर में बच्चों से प्राइवेट तौर पर बातचीत की है। बच्चे पर्याप्त बुद्धिमान प्रतीत होते हैं और उन दोनों ने ही स्पष्ट रूप से अपने पिता के साथ रहने के प्रति अनिच्छा अभिव्यक्त की है। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके प्रति आशंका अभिव्यक्त की है, यदि उन्हें अपने पिता के साथ रहने के लिए विवश किया जाता है, किन्तु यह न्यायालय इस आदेश में उन सभी प्रकथनों का उल्लेख करने से विरत रहता है, जिससे, उनके संबंधित दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, सक्षम न्यायालय द्वारा बच्चों की अभिरक्षा के विवादक के न्यायनिर्णयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

9. तदनुसार, रिट याचिका, याची को बच्चों की अभिरक्षा का दावा करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के समक्ष एक नियमित वाद दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए, खारिज की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मार्च 24, 2026

- अमित के -

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”